



18/11/09 दिनांक 18/11/09 को जारी  
उपजिलाधिकारी, छिबरामऊ

न्यायालय उपजिलाधिकारी, छिबरामऊ

वाद सं 5 / 2009

धारा 143 उ०प्र०ज०वि०अ०  
ग्राम- अलीपुर, कायमपुर  
परगना- सौरिख  
तहसील- छिबरामऊ

महेन्द्र सिंह बनाम सरकार



महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मिस्टर सिंह यादव निवासी मोहल्ला गांधीनगर कस्बा सौरिख परगना सौरिख तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज द्वारा प्रार्थना पत्र मध्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम अलीपुर स्थित गाटा सं० 482/0.208 हे०, 483/0.307 हे०, 500/0.093 हे०, 502/0.069 हे०, 503/0.097 हे०, 506/0.008 हे०, 507/0.089 हे०, 117/0.101 हे०, 236/0.023 हे०, 272/0.065 हे० व ग्राम कायमपुर स्थित गाटा सं० 1206/0.012 हे० कुल ग्यारह किता रकवा 1.072 हे० की संकमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर चौधरी जमादार सिंह महिला डिग्री कालेज की बिल्डिंग बनी हुई है। आवेदक का कब्जा देखल है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जाये।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार छिबरामऊ से चाही गई है। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी आख्या 5/11/2009 मय नजरी नक्शा संस्तुति सहित प्रेषित की गई। आख्यानुसार ग्राम अलीपुर स्थित गाटा सं० 482/0.208 हे०, 483/0.307 हे०, 500/0.093 हे०, 502/0.069 हे०, 503/0.097 हे०, 506/0.008 हे०, 507/0.089 हे०, 117/0.101 हे०, 236/0.023 हे०, 272/0.065 हे० व ग्राम कायमपुर स्थित गाटा सं० 1206/0.012 हे० कुल ग्यारह किता रकवा 1.072 हे० की संकमणीय भूमिधर श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मिस्टर सिंह यादव निवासी मो० गांधीनगर कस्बा सौरिख हैं। उक्त भूमि पर चौधरी जमादार सिंह महिला डिग्री कालेज की बिल्डिंग बनी हुई है। उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। धारा 143 ज०वि०अ० के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किया जाये। ऐसी स्थिति में तहसीलदार की संस्तुति के आधार पर उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जाना उचित पाया जाता है।

**आदेश**


उपरोक्त विवेचना के आधार पर महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मिस्टर सिंह यादव निवासी मोहल्ला गांधीनगर कस्बा सौरिख परगना सौरिख तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज की संकमणीय भूमि ग्राम अलीपुर स्थित गाटा सं० 482/0.208 हे०, 483/0.307 हे०, 500/0.093 हे०, 502/0.069 हे०, 503/0.097 हे०, 506/0.008 हे०, 507/0.089 हे०, 117/0.101 हे०, 236/0.023 हे०, 272/0.065 हे० व ग्राम कायमपुर स्थित गाटा सं० 1206/0.012 हे० कुल ग्यारह किता रकवा 1.072 हे० लगान अंशानुसार को अकृषक घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों में अमल दरामद हेतु व एक प्रति उप निबन्धक छिबरामऊ को नियमानुसार निबन्धन हेतु भेजी जाएगी। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाये।

दिनांक - 18/11/09

ATTESTED  
Adv.   
H/O. Chauraman

(ज०पी०गुप्ता)  
उपजिलाधिकारी  
छिबरामऊ

क्षमाप्रति अर्पण  
B  
12/11/09



क्रमांक - 251  
पक्षी का नाम महेन्द्र सिंह  
प्रमाण पत्र देते की दिनांक 18/11/09  
नजरी नक्शा का दिनांक 12/11/09

निबन्धक/साचिव  
जमादार सिंह महिला डिग्री कालेज  
सौरिख कस्बा

प्रबन्धक/साचिव

चौ० जमादार सिंह महिला डिग्री कालेज समिति  
सौरिख, कन्नौज